136

477

द्वारा प्रस्तुत
0 2 FEB 2015
अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर संभाग

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES CANCELLED

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES CANCELLED

निगरानी 406-I-15

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष, राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प जबलपुर

अशोक कुमार आ0 हरिप्रसाद लोधी
निवासी ग्राम बागपौड़ी तहसील व जिला नरसिंहपुर ....आवेदक/रिवीजनकर्ता

विरूद्ध

भीकमसिंह रजक आ0 हल्के सिंह रजक
निवासी ग्राम बैहरपौड़ी तहसील व जिला नरसिंहपुर ....उत्तरवादी

रिवीजन अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू–राजस्व संहिता 1959

रिवीजनकर्ता यह यह रिवीजन मान्य न्यायालय के समक्ष मौजा बागपौड़ी नं.ब.392 प.ह.नं. 59 तहसील व जिला नरसिंहपुर में स्थित भूमि के सीमांकन जो श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय नरसिंहपुर सीमांकन आदेश दिनांक 15.06.2014 से उद्‌भूत होकर श्रीमान राजस्व निरीक्षक महोदय द्वारा दिनांक 27.06.2014 को किये गये सीमांकन के विरूद्ध मान्य न्यायालय के समक्ष यह रिव्हीजन निम्नलिखित आधारों के साथ साथ अनेकानेक आधारों पर प्रस्तुत करता है। श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय की न्यायालय में सीमांकन प्रकरण क्रमांक 07अ–12/वर्ष 2013–14 है।

जबलपुर हेतु पर प्रेषित 19/2/15

रिवीजन के संक्षिप्त तथ्य

23-2-15

उत्तरवादी भीकम सिंह द्वारा रिवीजनकर्ता के विरूद्ध न्यायालय श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय नरसिंहपुर के समक्ष धारा 250म.प्र.भू राजस्व संहिता का एक आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया है कि उत्तरवादी की कथित भूमि मौजा बागपौड़ी ख0नं0 235, 237 पर रिवीजनकर्ता द्वारा बेजा कब्जा किया है उत्तरवादी ने अपने आवेदन के साथ नायब तहसीलदार महोदय की न्यायालय में कथित सीमांकन के दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।

रिवीजनकर्ता को इस सीमांकन की कोई जानकारी नहीं थी उन्हें जब नायब तहसीलदार न्यायालय द्वारा मामले का सूचना पत्र प्राप्त हुआ तब रिवीजनकर्ता दिनांक 12.12.2014 को जब वह न्यायालय में उपस्थित हुआ तब उसे कथित सीमांकन की जानकारी हुई इसलिये वह जानकारी दिनांक 12.12.2014 के बाद मान्य न्यायालय के समक्ष यह रिवीजन कथित सीमांकन के विरूद्ध प्रस्तुत कर रहा है।

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-406-एक/15 **जिला** - नरसिंहपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22/02/2019	आवेदक की ओर से यह निगरानी नायब तहसीलदार के सीमांकन आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत नायब तहसीलदार द्वारा पारित सीमांकन आदेश के विरुद्ध सुनवाई अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 23.04.2019 को अनुविभागीय अधिकारी तह. व जिला नरसिंहपुर के समक्ष उपस्थित हों। सदस्य **<u>अनुविभागीय अधिकारी नरसिंहपुर</u>**	